**राजस्व लोक अदालत "न्याय आपके द्वार" कैम्प 2015 ग्राम पंचायत बरार**
**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीम**
**(नरेन्द्र कुमार जैन पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)**
**कैम्प कोर्ट का स्थान :– ग्राम पंचायत बरार**

प्रकरण सं. – 67/2012 रे0वा0 निर्णय दिनांक – 08.06.2015

1. घीसा सिंह पिता सुजान सिंह रावत, निवासी पीपलदड़ा, ग्रा.पं. बरार, तहसील भीम।

**वादी**

**बनाम**

1. श्रीमति दाखु पत्नि नाथू सिंह रावत, निवासी पीपलदड़ा, ग्रा.पं. बरार, तहसील भीम।
2. पानी पुत्री नाथू सिंह रावत, निवासी पीपलदड़ा, ग्रा.पं. बरार, तहसील भीम हाल निवासी तारागढ़ तहसील ब्यावर।
3. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार भीम।

**प्रतिवादीगण**

**वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.ए.**

ग्राम बरार के मौजा बिच्छुदडा पटवार हल्का बरार तहसील भीम जिला राजसमन्द की जमाबन्दी संवत 2065–2068 के अनुसार खाता संख्या नया 117 एवं पुराना 120 के आराजी संख्या 1437, 1438 कुल किता 2 रकबा 05 बीघा 02 विस्वा के रिकार्डेड खातेदारी वादी घीसासिंह एवं प्रतिवादी संख्या 1 श्रीमति दाखुदेवी एवं प्रतिवादी संख्या 2 है। जिसमें वादी का 1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का 1/2 हिस्सा होकर उस पर वह काबिज होकर काश्त करते कराते चले आ रहे है।

यह कि वादी एवं प्रतिवादीगण का सजरा निम्न है:–

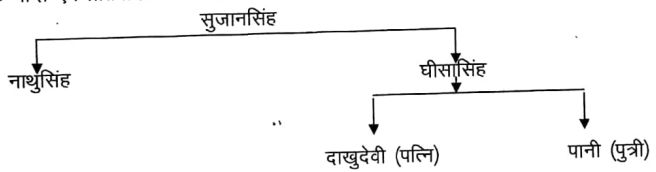


यह कि वादपत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित आराजियात आज तक रिकार्ड में बिना बंटी चली आ रही है एवं प्रत्येक रिकार्डेड खातेदार अपनी सहूलियत के अनुसार अपने–अपने हिस्से के मुताबिक खेती करते हुए एवं बंझड जमीन में घास काटते चले आ रहे है। किन्तु उपरोक्त आराजियात का माप व सीमांकन के विधिवत रूप से कभी बंटवारा नही हुआ है एवं उक्त आराजियात आज तक बिना बंटी होकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के सामुहिक उपयोग एवं उपभोग में चली आ रही है।

यह कि वादी ने कई बार प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को उक्त आराजियात का विधिवत बंटवारा करा अपने हिस्से में आई हुई आराजियात को अपने हिस्से की भूमि को अपने अपने खाते में दर्ज करा उसके विकास की बात कही एवं वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को तहसील में चलकर विधिवत रूप से बंटवारा कराने हेतु कागजात पेश करने बाबत कहा तो प्रतिवादी संख्या 1 व 2 कोई बहाना बनाकर टालते रहें।

अतः वादी का वादपत्र न्यायालय में लम्बित होकर **राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2015 कैम्प बरार** मे पेश हुआ पत्रावली मे उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया वादी एवं प्रतिवादीगणो को आपसी समझाईश कर आपसी राजीनामें से वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। वर्णित आराजियात में वादीगण एवं प्रतिवादीगण को मौके पर हिस्से अुनसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।

पालना हेतु तहसीलदार भीम को लिखा जाकर मौके पर हिस्से अनुसार बंटवारा तरमीम किया जाकर पालना से अवगत कराना सुनिश्चित करे।

सहायक कलक्टर भीम
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, भीम
जिला - राजसमन्द

Scanned by CamScanner